

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 44/2024

तारीख दायर 01.05.2024

पीठासीन अधिकारी:- विनय पाठक, आरएएस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

- प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेश कुमार मेहता पुत्र श्री गणपत लाल मेहता, मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड नमकीन सेन्टर, नई आबादी,
प्रतापगढ़

-अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 25/06/2024

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड बेसन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.01.2024 को दोपहर 3.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड नमकीन सेन्टर, नई आबादी, प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां पर बेसन (लूज) 12 किलोग्राम का कट्टा लूज अवस्था में रखा था। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम सुरेश कुमार मेहता पुत्र गणपत लाल मेहता बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास मौके पर

उपलब्ध था। लूज अवस्था में रखे बेसन पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया और बताया गया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त बेसन (लूज) में से 2 किलोग्राम बेसन वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उनकी कीमत 180 रुपये विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा बेसन (लूज) के पैक पैकेट पर विक्रेता तथा गवाहान के सामने 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर किये तथा गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षर पेपर स्लिप नं. वाई 2091 नियमानुसार चारो नमूना पैकेटों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों पर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा करवाकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

१

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रोषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया बेसन (लूज) का नमूना जॉब रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार मेहता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस क्रम में विक्रेता द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार मेहता को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित एवं जवाब में बताया कि प्रार्थी लगभग 20 वर्षों से नमकीन बनाने का कार्य कर रहा है। इस प्रकरण पूर्व कभी कोई नमूना प्रार्थी की दूकान से फेल नहीं हुआ। प्रार्थी खाद्य पदार्थों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नमकीन बनाता है। साथ ही प्रार्थी ने प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना करने का निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसावाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/179 दिनांक 02.02.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा बेसन का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त सब स्टेण्डर्ड बेसन विक्रय करने का दोषी पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य प्रथम बार किया गया है। अतः उक्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी के साथ उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत दिनांक 20.01.

2024 को उपलब्ध कुल माल 12 किलोग्राम बेसन की कीमत 1080 रू की पाँच गुना शास्ति अर्थात 5400 रू (अक्षरे पाँच हजार चार सौ रूपये मात्र) अप्रार्थी अभियुक्त पर आरोपित की जाती है । अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 25.06.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।


25.6.24
(विनय पाठक)


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2024/

दिनांक 25.06.2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री सुरेश कुमार मेहता पुत्र श्री गणपतलाल, मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड नमकीन सेन्टर, नई आबादी प्रतापगढ़


25.6.24
(विनय पाठक)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़